तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जा. हुक्म की तामील में जारी हुए

कल्लू वगै. बनाम रामस्वरूप वगै.

प्रा.पत्र - 212 RTA मु.नं. 10/18 (2018/0028)

12/09/25

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उप.। बहस में वादी के वकील द्वारा अवगत कराया कि आ.ख.नं. 246/146 रकबा 03 बीघा 07 बिस्वा वाके ग्राम गढ़ी ब्राह्मण में स्थित है। उक्त विवादित आराजी सायलान के कब्जे काश्त की कृषि भूमि है। जिसके तरफ पूर्व में रास्ता आम कायम एवं जारी है। इस आराजी के तरफ पश्चिम में ख.नं. 28, 21 गैर सायलान संख्या 1लगायत 4 की कब्जे काश्त की खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड आराजी है। जिस आराजी के तरफ पश्चिम को रास्ता आम कायम एवं जारी है। लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने उक्त आराजी को राजस्व रिकॉर्ड में गलत रूप से खसरा नंबर 146/1 दर्ज कर दिया गया है। अतः उसे दुरुस्त कर खसरा नंबर 226/146 अंकित किये जाने बाबत निवेदन किया गया है।

प्रतिवादी संख्या एक द्वारा अपने जवाब के मुताबिक अवगत कराया कि ख.नं. 226/146 रकबा 03 बीघा 06 बिस्वा वादीगण के कब्जे काश्त की खातेदारी कृषि भूमि है। जिसके तरफ पूर्व में रास्ता आम कायम व जारी है। विवादित आराजी के तरफ पश्चिम में ख.नं. 28, 21 प्रतिवादी संख्या 1लगायत 4 की कब्जे काश्त की खातेदारी की आराजी दर्ज रिकॉर्ड है एवं आ.ख.नं. 226/146 वाके ग्राम गढ़ी ब्राह्मण के तरफ दक्षिण में होकर 01 बिस्वा का आम रास्ता आ.ख.नं. 21 के लिये कायम एवं जारी है। राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता ख.नं. 145 के रूप में दर्ज है। जिसका उपभोग व उपभोग प्रतिवादी संख्या 01 एवं गांव के बाशिन्दे करते चले आ रहे हैं। एवं ख.नं. 21, 28 के लिये तरफ पश्चिम से कोई रास्ता नहीं है। और न ही कभी रहा है।

हमने बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण पर मनन किया गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का भली भांति अध्ययन किया गया। जिससे

---लगातार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	हम इस नतीजे पर पहुँचे है कि उक्त प्रकरण में संबंधित दावे में पक्षकारान के साक्ष्य एवं सबूतों के आधार पर विवाद का निस्तारण हो सकेगा। तथा अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन वादी के हक में प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो. बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी भुसावर (भरतपुर) राज०